भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

12.03.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2090 का उत्तर

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़

2090. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर:
एडवोकेट डीन कुरियाकोस:
श्री ए. राजा:
श्रीमती साजदा अहमद:
श्री के. सी. वेणुगोपाल:
श्री टी. एम. सेल्वागणपति:
श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:
श्री आनंद भदौरिया:
डॉ. नामदेव किरसान:
श्री हनुमान बेनीवाल:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
श्री हैबी ईडन:
श्री अरविंद गणपत सावंत:
एडवोकेट अदूर प्रकाश:
श्री के. राधाकृष्णन:
प्रो. सौगत राय:
श्री सुब्बारायण के.:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान यात्रियों की संख्या में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) शुरू की गई विशेष रेलगाड़ियों, स्टेशनों की अवसंरचना में किए गए सुधार, भीड़ के प्रबंधन संबंधी कार्यनीतियों और यात्री सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अत्यधिक भीड़-भाड़ के कारण रेलगाड़ियों को नुकसान पहुंचने की घटनाएं हुई हैं और यदि हां, तो प्रभावित रेलगाड़ियों, स्थानों, क्षति की प्रकृति, की गई कार्रवाई और दर्ज किए गए मामलों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

sk

(घ) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की जांच की गई है और यदि हां, तो इसके निष्कर्षों, कारणों, उत्तरदायी व्यक्तियों, सुधारात्मक उपायों, मृतक और घायलों की संख्या तथा हताहतों और घायलों की श्रेणी का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया है;

(च) यदि हां, तो परिवारों की संख्या, संवितरित राशि, भुगतान विधि (नकद या बैंक अंतरण) और इसी प्रकार के मामलों के लिए नकद भुगतान के सबसे हाल के पूर्व उदाहरणों का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकारी लापरवाही और खराब भीड़ प्रबंधन के लिए दोषी रेल अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या उन यात्रियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई थी जो बिना टिकट यात्रा कर रहे थे और अत्यधिक भीड़-भाड़ के कारण अन्य यात्रियों के लिए असुविधा उत्पन्न कर रहे थे;

(झ) क्या सरकार ने महाकुंभ के दौरान ऐसे यातायात का पूर्वानुमान लगाया था और इसके लिए कोई तैयारी की थी;

(ञ) क्या सरकार पैदल यातायात को विनियमित करने और रेलवे स्टेशनों पर भीड़-भाड़ को रोकने के लिए नई नीतियां कार्यान्वित कर रही है; और

(ट) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ट): प्रयागराज में "महाकुंभ 2025" का सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गएः

अवसंरचनात्मक विकास

प्रयागराज क्षेत्र में 5000 करोड़ रुपये से अधिक के अवसंरचना संबंधी सुधार/संवर्धन/क्षमता वृद्धि कार्य पूरे किए गए। संपूर्ण पूर्वी समर्पित माल यातायात गलियारे (डीएफसी) के कमीशन किए जाने से डीएफसी पर माल गाड़ियों की आवाजाही सुगम हुई जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली-हावड़ा मार्ग के साथ अतिरिक्त कुंभ स्पेशल गाड़ियां चलाने के लिए मार्ग उपलब्ध हुआ।

sk

प्रयागराज-वाराणसी और फाफामऊ-जंघई के दोहरीकरण का कार्य, जिसमें गंगा नदी पर एक बड़े पुल का निर्माण शामिल है, पूरा किया गया। अधिक संख्या में गाड़ियों को समाहित करने के लिए प्रयागराज, सुबेदारगंज, फाफामऊ, रामबाग और झूंसी सहित यार्डों का बड़े पैमाने पर उन्नयन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, तीन नई वाशिंग लाइनें और 21 अदद ऊपरी और निचले सड़क पुलों का निर्माण किया गया, जिससे सड़क उपयोगकर्ताओं की बेहतर आवाजाही के लिए क्षेत्र में सभी समपारों को समाप्त किया गया।

यात्री सुविधाएं

पर्यटन संबंधी अवसंरचना को बेहतर बनाने और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय तीर्थयात्रियों के लिए आसान पहुंच और आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए प्रयागराज, नैनी, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, झूंसी, प्रयागराज रामबाग, प्रयाग और फाफामऊ स्टेशनों पर आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्य किए गए हैं।

इन कार्यों में परिचलन क्षेत्र, पार्किंग, दिव्यांगजन सुविधाओं, संकेतकों, प्लेटफॉर्म की सतह का कार्य, पेयजल बूथों का निर्माण, आश्रय केंद्र, शौचालय, पहुंच मार्गों को चौड़ा करना, द्वितीय प्रवेश द्वारों का विकास और पैदल पार पुलों आदि का निर्माण शामिल है।

यात्रियों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त भोजन और जलपान की व्यवस्था की गई। इसके अलावा, बेहतर सुविधा के लिए रेलवे स्टेशनों पर प्रतीक्षा कक्षों का उन्नयन और बेहतर रूप से आरामदायी बनाने के लिए संवर्धित किया गया है।

प्रयागराज जंक्शन और प्रयागराज छिवकी में पहली बार यात्री सुविधा केंद्र स्थापित किए गए, जो व्हीलचेयर, सामान ट्रॉली, होटल और टैक्सी बुकिंग, शिशु दूध और आवश्यक दवाइयों जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं।

sk

जल्द टिकट उपलब्धता के लिए, जारी करने की क्षमता को प्रतिदिन 10 लाख टिकट किया गया है। निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चार-चरणीय बिजली बैकअप योजना कार्यान्वित की गई है।

स्टेशनों पर प्राथमिक चिकित्सा बूथ और चिकित्सा अवलोकन कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे का टोल-फ्री नंबर उपलब्ध कराया गया है और तीर्थयात्रियों को कार्यक्रम में भाग लेने में सहायता के लिए 12 भाषाओं में एक बहुभाषी पत्रक वितरित किया जा रहा है।

गाड़ी परिचालन

महाकुंभ-2025 में 13 जनवरी से 28 फरवरी 2025 की अवधि के दौरान 4.24 करोड़ यात्रियों के आवागमन हेतु 17,300 से अधिक गाड़ियां परिचालित की गईं। इसमें 3,000 से अधिक स्पेशल गाड़ी सेवाएं शामिल हैं, जो 2019 कुंभ के दौरान परिचालित की गईं 694 गाड़ियों से काफी अधिक हैं। पहली बार, अयोध्या, वाराणसी और चित्रकूट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली रिंग रेल सेवाएँ मेले के दौरान दैनिक आधार पर चालू हैं।

संरक्षा एवं सुरक्षा

भारतीय रेल द्वारा तीर्थयात्रियों की सुविधा और उनकी संरक्षा एवं सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए। इसमें स्टेशनों पर 1 लाख से अधिक यात्रियों की क्षमता वाले यात्री स्थान शामिल हैं। खुसरोबाग में एक अतिरिक्त होल्डिंग एरिया विकसित किया गया है, जिसमें 1 लाख से अधिक यात्रियों के लिए वहन क्षमता है। स्टेशनों के भीतर आंतरिक आवागमन की योजना और रेलवे स्टेशनों तथा मेला क्षेत्र के बीच बाहरी आवागमन की योजना राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से तैयार की गई है।

sk

पूरे रेल परिसर में निर्देशित और दिशात्मक आवाजाही सुनिश्चित की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पैदल पार पुल, सीढ़ियों/रैंप और प्रवेश और निकास द्वारों पर आवाजाही में कोई रुकावट न हो। बड़े पैमाने पर संकेतकों का प्रावधान किया गया है और यात्रियों की आवाजाही को निर्देशित करने के लिए नियमित आधार पर घोषणाएँ की जा रही हैं। रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस बल, राजकीय रेल पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 15000 से अधिक सुरक्षाबलों की तैनाती के साथ सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रेल सेवाओं का उपयोग करने वाले तीर्थयात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, बैगेज स्कैनर, खोजी कुत्ते और बॉडी वॉर्न कैमरा जैसे अन्य सुरक्षा उपकरणों तथा निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे का उपयोग किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्टेशनों और गाड़ियों में महिला कर्मियों वाली "मेरी सहेली" टीमें तैनात की गई हैं। रेल अवसंरचना पर आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य पुलिस और राजकीय रेल पुलिस के साथ गहन समन्वय किया गया है। इसके अलावा, वृद्धों सहित यात्रियों की सहायता और व्हीलचेयर आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए रेलवे पुलिस बल दलों को भी तैनात किया गया है।

प्रयागराज के मंडल नियंत्रण केंद्र में अत्याधुनिक महाकुंभ वॉर रूम स्थापित किया गया है। आग लगने, भगदड़, बम की धमकी और चिकित्सा संकट जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए व्यापक आपदा प्रबंधन योजनाएँ बनाई गई हैं।

स्वास्थ्य

तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए विभिन्न स्टेशनों पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

sk

चुनौतियाँ

महाकुंभ 2025 के दौरान, 22 गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी सामने आई। मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं।

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124 और धारा 124-ए (धारा 123 के साथ पठित) के तहत सुपरिभाषित रेल दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में रेल यात्रियों की मृत्यु/चोट के लिए रेलवे मुआवजा देता है, जिसका निर्णय रेलवे दावा न्यायाधिकरण (आरसीटी) द्वारा पीड़ितों/उनके आश्रितों द्वारा आरसीटी के समक्ष दायर दावे के आवेदन के आधार पर किया जाता है और यह उचित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के बाद मामलों का निपटारा करता है। जब माननीय आरसीटी द्वारा दावेदार के पक्ष में डिक्री दी जाती है और रेलवे के डिक्री को क्रियान्वित करने का निर्णय लेता है, तो रेल प्रशासन मुआवजा देता है।

इस मामले में प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 2.50 लाख रुपये तथा सामान्य रूप से घायलों को 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी गई है। तदनुसार, 33 पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों को कुल 2.01 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

*****

sk